

संक्षिप्त

अवैध मादक पदार्थ विक्रेता गिरफ्तार

टोंक, (निर्स)। पुलिस थाना बनेडा ने अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अधीक्षक मनोष त्रिपाठी के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चन्द्र मिश्रा एवं पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद खान ने के निर्देशन में बनेडा थानाधिकारी भंवरलाल, कानि, दयाराम, मुकेश ने एनडीपीएस एक्ट में 15 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रेता आरोपी जगदीश उर्फ जे.पी. महाराज उर्फ सियाराम मीणा पुत्र श्रीलाल मीणा 62 साल निवासी दोलतपुरा उर्फ कजोडया थाना घाट को गिरफ्तार किया है।

अज्ञात अथेड का शव मिला

कोटपुतली, (निर्स)। कस्बे के मुख्य चौहाने पर रोडवेज बस डिपो के सामने शरण मार्केट के कोने पर स्थित शराब ठेके के पास मंगलवार तड़के एक अथेड का शव मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिस पर अज्ञात अवस्था में पाये गये व्यक्ति को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल ले जाया गया। जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पहचान के लिए मोर्चरी में रखवाया है। मृतक ने हल्के हरे रंग की टीशर्ट, क्रिम कलर की पैंट पहन रखी है। मृतक के छोटी-छोटी सफेद दाढ़ी मुँह व सिर में बाल है। पुलिस वारिसान का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

उपखंड स्तरीय मेगा शिविर को लेकर बैठक

किशनगढ बास, (निर्स)। उपखंड मुख्यालय पर 29 जून को प्रशासन गांव के संग लगने वाले उपखंड स्तरीय मेगा कैम्प की तैयारियों को लेकर प्रधान ब्रद्री प्रसाद सुमन, बीडीओ राजकुमार बायलाने पंचायत समिति सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। और प्रशासन गांव के संग लगने वाले मेगा कैम्प को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास अधिकारी राजकुमार बायलाने बताया कि पंचायत समिति सभागार में ठाम विकास अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 29 जून को लगने वाले उपखंड स्तरीय मेगा कैम्प में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने एवं प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में सहायक अभियंता रामजीलाल जेट्टी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक सहित कर्मचारी मौजूद रहे।

पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर प्रदर्शन

निवाई, (निर्स)। पेयजल सप्लाई तथा पाइप लाइन डलवाने की मांग को लेकर महिलाओं ने पार्षद कमलेश किण्ड के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्डवासियों ने जेईएन को बताया कि वार्ड नंबर 34 गली नंबर 16 में ऊपर की तरफ पानी की समस्या बनी हुई है। महिलाओं ने अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है जिससे शोधन गार्मी में परेशानी उठानी पड़ रही है साथ ही टैंकों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसके बाद जेईएन ने बुधवार को सबके पेयजल सप्लाई के दौरान निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। तब जाकर महिलाएं घरों को लौट गईं।

न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर जेल की व्यवस्थाएं जानी

टोंक, (निर्स)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अजय शर्मा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) टोंक डॉ. रूबीना परवीन अंसारी तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक दीपेंद्र माथुर द्वारा जिला कारागृह टोंक का मासिक निरीक्षण कर सम्पूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों की समस्याओं को सुना व मौके पर ही अधीक्षक व कारापाल को उनकी



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अजय शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने मूलभूत सुविधाओं व जेल में भोजन की गुणवत्ता को देखा।

अधिवक्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा जेल में भोजन की गुणवत्ता को भी देखा गया। बंदियों द्वारा अधिवक्ता न कर पाने की स्थिति में निशुल्क विधिक सहायता के तहत प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा जिन बंदियों के पास पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है उनके निशुल्क

विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र भरवाने हेतु अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक को निर्देश प्रदान किये गये। न्यायाधीश द्वारा जेल परिसर की साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्था, विधिक सेवा क्लिनिक, महिला एवं पुरुष बैरक, परिसर, लाइब्रेरी, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, केप्टिन का भी निरीक्षण किया गया एवं बंदियों को उपलब्ध करवाई जाने

वाली दैनिक एवं मासिक पत्रिका, टी.वी., सी.सी.टी.वी. कैमरा, लाइब्रेरी, जेल मैनुअल, बंदियों के लिए शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य, नेटवर्क जैमर, स्टाफ, संघारित किये जा रहे रजिस्टर, गर्मियों में बंदियों को अनुकूल वातावरण आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।

बंदियों की समस्याओं को सुना व मौके पर ही अधीक्षक व कारापाल को समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया

समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। जिला न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण के दौरान बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं व बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति एवं

समूह की महिलाओं ने प्रोत्साहन राशि ना मिलने पर रोष जताया

बहरोड/नीमराना, (निर्स)। बहरोड कस्बे में दीनदयाल अल्लोयद के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो कि शहरी गरीबी उपशमन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नगर निगम, नगर परिषद आदि निकाय क्षेत्रों में संचालित है। नगर पालिका बहरोड क्षेत्र में योजना से संबंधित महिलाओं के 10 समूहों की बैठक आयोजित की गई। बहरोड नगर पालिका क्षेत्र में चल रही केंद्र सरकार की योजना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रोत्साहन राशि ना मिलने को लेकर बैठक में रोष प्रकट किया।

युप की महिलाएं प्रोत्साहन राशि से वंचित हैं। जिसको लेकर उच्च अधिकारियों की ओर से संतुष्टि पूर्ण जवाब ना मिलने के कारण महिलाओं ने रोष प्रकट किया था। जिस के मामले में राज्य स्तरीय अधिकारी मनमोहन से समस्या की जानकारी लेने पर उन्होंने पैसा पोर्टल के माध्यम से रिवालिग फंड प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए युप की सभी महिलाओं को संतुष्ट करते हुए महिलाओं को फंड न मिलने की जानकारी दी जो 10 से 15 दिन के अंदर जारी होने का आश्वासन दिया। जिसके मामले में बृजराज शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय अधिकारी ने जो प्रक्रिया बताई है उसके अधीन कार्यपाली पर अमल किया जाएगा। गुप राधे राधे, राधे श्याम, गोवर्धन, गिरिराज जो, विश्वास महिला, कबीर, श्री राधे, यात्रा, श्री बांके बिहारी, संगम आदि गुप की महिलाओं ने बैठक में भाग लिया।

निशुल्क ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ, अलवर विधायक ने किया उद्घाटन

अलवर, (निर्स)। खेरली, कस्बा स्थित परशुराम वाटिका ब्राह्मण समाज खेरली धर्मशाला में सु-शांति ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ मंगलवार दोपहर अलवर विधायक संजय शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। गत माह 8 मई को परशुराम जयंती समारोह में गांव सौखर खेरली निवासी आरएएस अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा ने अपने माता पिता की स्मृति में सु-शांति पुस्तकालय खोलने की घोषणा की थी जिसमें विधायक अलवर संजय शर्मा ने ई-लाइब्रेरी भी खोलने की राय दी थी।



अलवर विधायक संजय शर्मा ने सु-शांति ई-लाइब्रेरी का फीता काटकर लोकार्पण किया।

इस पर मंगलवार को डॉक्टर गोवर्धन शर्मा ने अपनी 29वीं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इसका उद्घाटन विधायक संजय शर्मा के हाथों करवाया। जिसमें 5 कंप्यूटर डाटा सहित लगा दिए गए हैं। डॉ गोवर्धन लाल शर्मा ने बताया कि इसके अंतर्गत यूट्यूब वीडियो एवं

रिविदत वकील, अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, राज कुमार पंडा, द्वारिका प्रसाद शर्मा, बालकिशन तिवारी, आकाश मिश्रा, अरुण प्रकाश मिश्रा, कमलेश अवस्थी, राजेश शर्मा, उदय चंद्र अवस्थी, दीपेश शर्मा, बाबूलाल सौंखरी सहित अनेक विप्र बंधु उपस्थित रहे।

शराब ठेका, डकैती प्रकरण का 5वां आरोपी गिरफ्तार

कोटपुतली, (निर्स)। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम सांगोटेडा में विगत 17 अप्रैल को एक शराब ठेके पर हुई डकैती के प्रकरण में पनियाला थाना पुलिस ने 5 वें आरोपी को गिरफ्तार किया जाने में सफलता हासिल की है।



घटना में चार मुल्जिम पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके है।

एसएचओ हितेश शर्मा ने बताया कि परिवारदी महेंद्र कुमार ने मामला दर्ज करवाया था कि वह सांगोटेडा दो माह से चल रहा था फरार

अग्रवाल ने पुलिस टीम के सदस्यों को पुरुस्कृत किये जाने की घोषणा की है।

शराब ठेके पर सैल्समैन है। विगत 17 अप्रैल 2022 को डीआई जीप में सवार होकर 8-9 व्यक्ति आये एवं ठेके से अंग्रेजी शराब आरएस की पेट्टी उठाकर ले गये। घटना के चार मुल्जिमों को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मंगलवार को मुखबरी की सूचना पर 5 वें आरोपी महेंद्र कुमार (34) पुत्र रामोतार गुर्जर निवासी ग्राम नांगल लाखा, थाना हरसौरा, अलवर को थाना

पुलिस ने लाखा का नांगल नदी में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष

कोटपुतली, (निर्स)। केन्द्र व राज्य सरकार को बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त निजी शिक्षण संस्थानों में संस्था संचालकों द्वारा अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम लागू किये जाते हैं। जबकि सरकारी विद्यालयों में सरकारी द्वारा पाठ्यक्रम लागू किया जाता है। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम निर्धारित दुकानों पर ही मिलता है। जिसका दुकानदारों द्वारा मनमानी कीमत पर विक्रय किया जाता है। इसी समस्या को लेकर अतिवक्त दीपक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में दिनेश अग्रवाल, ललित शर्मा, पवन बंसल, चन्द्रशेखर शर्मा, रनेश यादव आदि अधिभावकगणों ने मंगलवार को

अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों की दुकानदारों से मिलीभगत रहती है।

कोटपुतली में नायब तहसीलदार को अधिभावकों ने ज्ञापन सौंपा।

अग्रवाल ने पुलिस टीम के सदस्यों को पुरुस्कृत किये जाने की घोषणा की है।

शराब के लिए नकदी नहीं देने पर मारपीट की

टोंक, (निर्स)। शहर के पुरानी टोंक क्षेत्र में पहाडिया मैरिज गार्डन के पास बैठकर शराब पी रहे चार युवकों ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दो जनों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगे नहीं देने पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी तो उन्होंने परजनों को बुला लिया, जिनसे भी शराबियों ने मारपीट कर घायल कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया, लेकिन इस मामले में पुलिस को रातभर मशकत हुई।

जानकारी के अनुसार पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में पहाडिया मैरिज गार्डन के पास पंकज, छोटू, बबलू व एक अन्य बैठकर शराब पी रहे थे, इस समय मोटरसाइकिल पर जा रहे इमरान व उसके साथी को चारों ने रोक लिया, शराब के लिए पैसे मांगे नहीं देने पर दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पर दोनों ओर से लोग पहुंचे गए। जिनसे भी मारपीट कर घायल कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुरानी टोंक पुलिस शहर कोतवाल जितेंद्र सिंह चरण ने मौके पर पहुंचकर मामले की तपस्तीश का उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इस पर वृताधिकारी टोंक सलेह मोहम्मद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल कल्लन का स्तर में भिजवाया। वहीं अफवाह उड़ी कि कल्लन की झगड़े में मौत हो गई।

जन सहभागिता शिविर आयोजित

फुलेरा, (निर्स)। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनोष अग्रवाल ने मंगलवार को फुलेरा थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया साथ ही उकृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मीयों को प्रोत्साहित भी किया। वहीं थाना क्षेत्र के ग्राम आकोदा में वृताधिकारी सांभरलेक लक्ष्मी सुधार एवं फुलेरा थानाधिकारी रघुवीर सिंह राठीड की उपस्थिति में जनसहभागिता शिविर का आयोजन किया गया। थानाधिकारी राठीड ने बताया कि शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए।

प्रारूप-13 (नियम 13(2) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं स्थानीय अधिकारी नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा (जयपुर)

क्रमांक/न. पा. पा. प्रा. /2022-23/227 दिनांक- 24.06.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा सं. 2041/1, 1970/2, 1970/3, 1970/4, 1970/6, 2028, 2028/1, 2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5, 3034/2029, 3035/2029, 3036/2029, 3037/2029, 3038/2029, 3039/2029, 3040/2029, 3045/2032, 3047/2032, 3048/2032, 3049/2032, 3050/2032, 3051/2032, क्षेत्र नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा ग्राम पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून, 1999 से पूर्व/बाद की कालावधि से गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजसे अतिरिक्त, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायरे में।

अतः उक्त भूमि में हिल रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बताये कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त वित्तांगों से मुक्त निहित किया जा सके। यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन 2022 (वर्ष) जून (मास) के 9 (नौ) दिन को जारी की जाती है।

दिनांक- अधिशासी अधिकारी
स्थान- नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा, जयपुर (राज.)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-न/प/श्रीमा, /2022-23/1371-72 आपति आमंत्रण सूचना दिनांक-27.06.2022

(1) श्रीमाधोपुर पुर ख. कुम. कुम. उदय अग्रवाल जीप निवासी वार्ड नं. 21 सुधीर बाजार कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नीचे बिलित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनों के लिये पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार प्राप्त करने के लिये पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पास में अर्पित कर रहे हैं।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गाँव का नाम	पट्टा नं. प्लॉट नं.	पट्टा क्षेत्र	उत्तर दिशा दर्जित करने हुए स्वामित्व और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर मी.)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 03 मोहल्ला का मोहल्ला श्रीमाधोपुर	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान दिशा में बजार व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	मकान आवासीय प्रयोजनों हेतु सिविली नगर पुर से पश्चिम 40.9 फुट व उत्तर से दक्षिण 15.9 फुट कुल क्षेत्रफल 210.05 वर्गमाप वर्ग है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार अधिवात करने के लिए नगर पालिका के पास में अर्पित हुए भूमि में के अधिकार अर्पण करने की अनुमति की मंजूरी के संबंध में कोई आयोग है तो वह इन नोटिफ के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिख पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ अपने आयोग प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूचित नियम समय के भीतर किसी आयोग के अभाव में यह समस्त ज्ञेयता कि किसी व्यक्ति को कोई आयोग नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27.06.2022 को जारी की गयी।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-न/प/श्रीमा, /2022-23/1374-75 आपति आमंत्रण सूचना दिनांक-27.06.2022

(1) श्रीमाधोपुर पुर ख. श्री कुम. कुम. उदय अग्रवाल जीप निवासी वार्ड नं. 21 सुधीर बाजार कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नीचे बिलित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनों के लिये पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पास में अर्पित कर रहे हैं।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गाँव का नाम	पट्टा नं. प्लॉट नं.	पट्टा क्षेत्र	उत्तर दिशा दर्जित करने हुए स्वामित्व और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर मी.)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 03 मोहल्ला का मोहल्ला श्रीमाधोपुर	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	मकान आवासीय प्रयोजनों हेतु सिविली नगर पुर से पश्चिम 34.9 फुट व उत्तर से दक्षिण 15.9 फुट कुल क्षेत्रफल 61.77 वर्गमाप वर्ग है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार अधिवात करने के लिए नगर पालिका के पास में अर्पित हुए भूमि में के अधिकार अर्पण करने की अनुमति की मंजूरी के संबंध में कोई आयोग है तो वह इन नोटिफ के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिख पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ अपने आयोग प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूचित नियम समय के भीतर किसी आयोग के अभाव में यह समस्त ज्ञेयता कि किसी व्यक्ति को कोई आयोग नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27.06.2022 को जारी की गयी।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-न/प/श्रीमा, /2022-23/1380-81 आपति आमंत्रण सूचना दिनांक-27.06.2022

(1) श्रीमाधोपुर पुर ख. श्री कुम. कुम. उदय अग्रवाल जीप निवासी वार्ड नं. 03 सुधीर बाजार कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नीचे बिलित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनों के लिये पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पास में अर्पित कर रहे हैं।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गाँव का नाम	पट्टा नं. प्लॉट नं.	पट्टा क्षेत्र	उत्तर दिशा दर्जित करने हुए स्वामित्व और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर मी.)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 03 मोहल्ला का मोहल्ला श्रीमाधोपुर	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	मकान आवासीय प्रयोजनों हेतु सिविली नगर पुर से पश्चिम 16.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 96 फुट कुल क्षेत्रफल 71.13 वर्गमाप वर्ग है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार अधिवात करने के लिए नगर पालिका के पास में अर्पित हुए भूमि में के अधिकार अर्पण करने की अनुमति की मंजूरी के संबंध में कोई आयोग है तो वह इन नोटिफ के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिख पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ अपने आयोग प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूचित नियम समय के भीतर किसी आयोग के अभाव में यह समस्त ज्ञेयता कि किसी व्यक्ति को कोई आयोग नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27.06.2022 को जारी की गयी।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-न/प/श्रीमा, /2022-23/1377-78 आपति आमंत्रण सूचना दिनांक-27.06.2022

(1) श्रीमाधोपुर पुर ख. श्री कुम. कुम. उदय अग्रवाल जीप निवासी वार्ड नं. 03 सुधीर बाजार कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नीचे बिलित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनों के लिये पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पास में अर्पित कर रहे हैं।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गाँव का नाम	पट्टा नं. प्लॉट नं.	पट्टा क्षेत्र	उत्तर दिशा दर्जित करने हुए स्वामित्व और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर मी.)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 03 मोहल्ला का मोहल्ला श्रीमाधोपुर	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	मकान आवासीय प्रयोजनों हेतु सिविली नगर पुर से पश्चिम 16.5 फुट व उत्तर से दक्षिण 96 फुट कुल क्षेत्रफल 109.78 वर्गमाप वर्ग है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार अधिवात करने के लिए नगर पालिका के पास में अर्पित हुए भूमि में के अधिकार अर्पण करने की अनुमति की मंजूरी के संबंध में कोई आयोग है तो वह इन नोटिफ के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिख पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ अपने आयोग प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूचित नियम समय के भीतर किसी आयोग के अभाव में यह समस्त ज्ञेयता कि किसी व्यक्ति को कोई आयोग नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27.06.2022 को जारी की गयी।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-न/प/श्रीमा, /2022-23/1377-78 आपति आमंत्रण सूचना दिनांक-27.06.2022

(1) श्रीमाधोपुर पुर ख. श्री कुम. कुम. उदय अग्रवाल जीप निवासी वार्ड नं. 03 सुधीर बाजार कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नीचे बिलित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनों के लिये पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पास में अर्पित कर रहे हैं।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गाँव का नाम	पट्टा नं. प्लॉट नं.	पट्टा क्षेत्र	उत्तर दिशा दर्जित करने हुए स्वामित्व और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर मी.)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 03 मोहल्ला का मोहल्ला श्रीमाधोपुर	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	मकान आवासीय प्रयोजनों हेतु सिविली नगर पुर से पश्चिम 5.2 फुट व उत्तर से दक्षिण 5.2 फुट कुल क्षेत्रफल 109.78 वर्गमाप वर्ग है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार अधिवात करने के लिए नगर पालिका के पास में अर्पित हुए भूमि में के अधिकार अर्पण करने की अनुमति की मंजूरी के संबंध में कोई आयोग है तो वह इन नोटिफ के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिख पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ अपने आयोग प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूचित नियम समय के भीतर किसी आयोग के अभाव में यह समस्त ज्ञेयता कि किसी व्यक्ति को कोई आयोग नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27.06.2022 को जारी की गयी।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-न/प/श्रीमा, /2022-23/1377-78 आपति आमंत्रण सूचना दिनांक-27.06.2022

(1) श्रीमाधोपुर पुर ख. श्री कुम. कुम. उदय अग्रवाल जीप निवासी वार्ड नं. 03 सुधीर बाजार कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नीचे बिलित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनों के लिये पूर्ण स्वामित्व पत्र अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पास में अर्पित कर रहे हैं।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गाँव का नाम	पट्टा नं. प्लॉट नं.	पट्टा क्षेत्र	उत्तर दिशा दर्जित करने हुए स्वामित्व और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर मी.)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 03 मोहल्ला का मोहल्ला श्रीमाधोपुर	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	वर्तु सीमापे निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में आम वरसा, पश्चिम दिशा में सुरेश कुमार केशव व अन्य का कमान, उत्तर दिशा में राजकुमार कमान व दुकान व दिक्षिण दिशा में लक्ष्मी नारायण प्रमुखदार केशव का गौदम अवसिस्त है।	मकान आवासीय प्रयोजनों हेतु सिविली नगर पुर से पश्चिम 5.2 फुट व उत्तर से द